न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आपराधिक प्र.क.: 823 / 2014</u> संस्थित दि: 10 / 09 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर, ृजिला बालाघाट (म.प्र.) ———————— अभियोगी

विरुद

- जियालाल पिता गणेश उइके, उम्र 35 साल, जाति गोंड, निवासी ग्राम छपरवाही थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- ज्ञानसिंह पिता चमरू गोंड, उम्र 42 साल, जाति गोंड,
 निवासी मशीनटोला चिखलाझोंडी थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)
- कृष्णदास उर्फ किच्ची पिता धरमदास, उम्र 24 साल, जाति पनका,
 निवासी मशीनटोला चिखलाझोंडी थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)
- प्रभुदास पनका पिता बैगादास, उम्र 28 साल, जाति पनिका,
 निवासी मशीनटोला चिखलाझोंडी थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)

– – – – – — – अारोपीगण

–<u>ः उर्पापण – आदेश ः-</u>–

(आज दिनांक 24/09/2014 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में है 1
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.06.2014 को दीपक पिता श्यामूसिंह निवासी किनारदा ने इस आशय की आरक्षी केन्द्र रूपझर में रिपोर्ट लिखाई कि उसको पिता श्यामूसिंह दिनांक 22.06.2014 को गांव के मेहतलाल के साथ मोटरसायिकल से खुरसुड़ गये थे वापस नहीं आये आसपास तलाश करने पर मोटरसायिकल खड़ी मिली उसकें पास उसकी पिता की लाश मिली। फरियादी की रिपोर्ट पर से मर्ग कमांक 22/14 धारा 174 जाफो कायम कर जांच में लिया गया। सुददूसिंह, दीपक, रामसिंह, सम्मलसिंह, मेहतलाल, लखनलाल, नन्दिकशोर, फगनीबाई के कथन लिये गये। जांच/विवेचना के दौरान पाया गया कि दिनांक 22.06.2014 को जियालाल उइके

आपराधिक प्र.क.: 823 / 2014

ने एक्सीडेंट में बोदा की पैर टूटने के पैसे के लिये दोनों हाथ से श्यामूसिंह का गला दबाकर हल्या कर दी और प्रभुदास एवं कृष्णदास तथा ज्ञानसिंह के साथ मिलकर साक्ष्य छुपाने के आशय से जंगल में लाश फेक दी। जांच के आधार पर आरोपीगण के विरू; द्ध आरक्षी केन्द्र रूपझर में 75/14 अन्तर्गत धारा 302, 201, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 201, 34 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपीगण पर भारतीय दण्ड सहिता की धारा 302, 201, 34 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराओं में से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।
- (06) आरोपीगण को धारा 207 द०प्र०सं० के अनुसार अभियोग—पत्र की नकलें दी गई।
- (07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- (08) प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूध्द होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 08.10. 2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया गया।
- (09) प्रकरण में जप्तुशदा सम्पत्ति अन्तिम प्रतिवेदन में दर्शाये अनुसार एफ.एस.एल सागर जांच हेतु भेजा जाना दिशति है। आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर आदेश मेरे उद्बोधन पर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट